रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2558] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 6, 2018/आषाढ़ 15 1940
No. 2558] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 6, 2018/ASHADHA 15, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 जुलाई , 2018

का.आ. 3312(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. संख्यांक 1054 (अ) तारीख 13 अप्रैल, 2015 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, महाराष्ट्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी तीन वर्षों की अवधि के लिए प्राधिकरण का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:-

क्रम सं.	सदस्य	प्रास्थिति
1.	अपर मुख्य सचिव, या मुख्य सचिव या सचिव पर्यावरण विभाग महाराष्ट्र सरकार ।	अध्यक्ष, पदेन;
2.	अपर मुख्य सचिव, या मुख्य सचिव या सचिव राजस्व विभाग महाराष्ट्र सरकार ।	सदस्य, पदेन;
3.	अपर मुख्य सचिव, या मुख्य सचिव या सचिव शहरी विकास-I विभाग महाराष्ट्र सरकार ।	सदस्य पदेन;

4.	आयुक्त और संयुक्त आयुक्त मत्स्यपालन (सामुद्रिक) या सहायक आयुक्त मत्स्यपालन (सामुद्रिक), मत्स्यपालन विभाग, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य पदेन;
5.	अपर मुख्य सचिव, या मुख्य सचिव या सचिव उद्योग विभाग महाराष्ट्र सरकार	सदस्य पदेन;
6.	नगरपालिका आयुक्त, ग्रेटर मुम्बई नगर निगम या एमसीजीएम द्वारा पदाभिहित/नामनिर्दिष्ट उपसचिव की पंक्ति से अन्यून अधिकारी	सदस्य पदेन;
7.	वन संरक्षक, मैनग्रोव सेल, मुम्बई या मैनग्रोव सेल द्वारा नामनिर्दिष्ट उप मुख्य वन संरक्षक की पंक्ति से अन्यून अधिकारी।	सदस्य पदेन;
8.	निदेशक, केंद्रींय सामुद्रिक मत्स्यपालन अनुसंधान का मुम्बई अनुसंधान केंद्र, वरसोवा, अंधेरी, मुम्बई	सदस्य पदेन;
9.	डा. ए.के. चौबे, निदेशक प्रादेशिक आफिस, एनआईओ, अंधेरी मुंबई ।	सदस्य;
10.	मि. कुडले, पूर्व अपर निदेशक, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, पुणे	सदस्य;
11.	डा. महेश शिंडिकर, प्रोफेसर, कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, पूणे	सदस्य;
12.	डा. खोट महादेव सतप्पा, प्रधानाचार्य, छत्र. शम्भाजी राजे, सैनिक स्कूल खेड, रतनगिरि	सदस्य;
13	निदेशक, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य सचिव पदेन।

2. प्राधिकरण का मुख्यालय मुंबई में होगा ।

3. प्राधिकरण की बैठक की गणपूर्ति, उसके कुल सदस्यों की एक तिहाई सदस्य होगी ।

4. पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य को, केंद्रीय सरकार द्वारा नियत मानकों के अनुसार भत्ते देय होंगे ।

5. प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य में तटीय पर्यावरण की क्वालिटी को संरक्षित करने और सुधारने तथा तटीय विनिमय जोन क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात्:-

(i) प्राधिकरण, परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आवेदन प्राप्ति के पश्चात्, यदि वह अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना के अनुसरण में हैं और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई तटीय विनिमय जोन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) की अपेक्षाओं के भीतर है तो उसका परीक्षण करेगा और संबद्ध प्राधिकरण ऐसी परियोजना के अनुमोदन के लिए, जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर सिफारिश करेगा;

(ii) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार तटीय विनिमय जोन में सभी विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करेगा;

(iii) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के उपबंधों का प्रवर्तन और मानीटरी के लिए उत्तरदायी होगा;

(iv) प्राधिकरण, तटीय विनिमय जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरणों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की परीक्षा करेगा और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को उस पर विनिर्दिष्ट सिफारिश देगा;

(v) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अभिकथित अतिक्रमण के मामलों में जांच करेगा और उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण या उल्लंघन को अंतर्वलित करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करेगा;

IndiaCode

(vi) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण या उल्लंघन के मामलों में स्वप्रेरणा से या किसी व्यष्टि या निकाय या संगठन द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर जांच या पुनर्विलोकन करेगा;

(vii) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए प्राधिकृत है;

(viii) प्राधिकरण, उसके समक्ष तथ्यों को सत्यापित करने के लिए जैसा अपेक्षित है, उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करेगा ।

6. प्राधिकरण, अपने कृत्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार करेगा और इसके कृत्य, जिसके अंतर्गत बैठकों में कार्यसूची, बैठकों का कार्यवृत्त, प्रत्येक बैठकों में किए गए विनिश्चय, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण तथा उल्लंघन के मामलों में सिफारिशें और ऐसे अतिक्रमण तथा उल्लंघन पर की गई कार्रवाई और न्यायालय मामले जिसके अंतर्गत न्यायालयों के आदेश हैं और राज्य सरकार की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना से संबंधित सूचना डालेगा ।

7. प्राधिकरण छह माह में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को भेजेगा ।

[फा. सं. 12-5/2005-आईए.III(भाग)]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 6th July, 2018

S.O. 3312(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O.1054(E), dated 13th April, 2015 except in respect of things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Maharashtra Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

S.N.	Members	Status
(i)	Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Environment Department, Government of Maharashtra	Chairperson, ex-officio;
(ii)	Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Revenue Department, Government of Maharashtra	Member, ex-officio;
(iii)	Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary Urban Development Department-1, Government of Maharashtra	Member, ex-officio;
(iv)	Commissioner or Joint Commissioner of Fisheries (Marine) or Asstt. Commissioner of Fisheries (Marine), Fisheries Department, Government of Maharashtra	Member, ex-officio;
(v)	Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Industries Department, Government of Maharashtra	Member, ex-officio;
(vi)	Municipal Commissioner, Municipal Corporation of Greater Mumbai or Officer not below the rank of Deputy Secretary designated/nominated by Municipal Corporation of Greater Mumbai	Member, ex-officio;
(vii)	Conservator of Forest, Mangrove Cell, Mumbai or not below the rank of Deputy Chief Conservator of Forest nominated by Mangrove Cell	Member, ex-officio;
(viii)	Director, Mumbai Research Centre of Central Marine Fisheries Research, Versova, Andheri, Mumbai	Member, ex-officio;
(ix)	Dr. A.K.Chubey, Director, Regional Office, National Institute of Oceanography (NIO), Andheri, Mumbai	Member;
(x)	Mr. Kudale, Ex-Additional Director, Central Water and Power Research Station, Pune	Member;

(xi)	Dr. Mahesh Shindikar, Professor, College of Engineering, Pune	Member;
(xii)	Dr. Khot Mahadev Satappa, Principal, Chh. Sambhaji Raje, Sainik School, Khed, Ratnagiri.	Member;
(xiii)	Director, Environment Department, Government of Maharashtra	Member Secretary, ex-officio.

2. The Authority shall have its headquarters at Mumbai.

3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one-third of the total number of its Members.

4. A Member, other than an ex-officio Member, shall be paid allowances as per the norms fixed by the Central Government.

5. The Authority shall, for the purposes of protecting and improving the quality of the costal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the State of Maharashtra, take the following measures, namely:—

(i) the Authority shall, after receiving the application for approval of project proposal, examine the same if it is in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and within the requirements of the Coastal Regulation Zone notification issued by the Government of India in the Ministry of Environment and Forests *vide* number S.O.19(E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), and make recommendations for approval of such project to the concerned authority, as specified in the said notification, within a period of sixty days from the date of receipt of such application;

(ii) the Authority shall regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;

(iii) the Authority shall be responsible for enforcing and monitoring the provisions of the said notification;

(iv) the Authority shall examine the proposals received from the State Government for changes or modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and make specific recommendations thereon, to the National Coastal Zone Management Authority;

(v) the Authority shall inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder; and review the cases involving violations or contraventions of the provisions of the said Act and the rules made thereunder;

(vi) the Authority shall inquire or review cases of violations or contraventions of the said notification suo-moto, or on the basis of a complaint made by any individual or body or organisation;

(vii) the Authority is authorised to file complaints under section 19 of the said Act;

(viii) the Authority shall take such action as may be required under section 10 of the said Act, to verify the facts of the cases before it.

6. The Authority shall, for the purpose of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meetings, minutes of the meetings, decisions taken in each meetings, recommendations for matters on violations and contravention of the said notification and actions taken on such violations and contraventions, court matters including the orders of the Courts and the approved Coastal Zone Management Plan of the State Government.

7. The Authority shall furnish reports of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

[F. No. 12-5/2005-IA.III(Part)]

RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.07.16 17:21:43 +05'30'